



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - 1023 वर्ष 2026

अकबरी बानो एवं अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

---

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : देवब्रत यादव, राम प्रताप यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

---

**न्यायालय संख्या - 54**

**माननीय न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय,**

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.पी. यादव तथा राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री हरि मोहन श्रीवास्तव को सुना गया।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्तागण गाटा संख्या 139मि०, क्षेत्रफल 0.0320 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या 138मि०, क्षेत्रफल 0.0340 हेक्टेयर के अभिलेखित भूमिधर हैं। फसली 1429-1434 की खतौनी वर्तमान याचिका के साथ परिशिष्ट संख्या-1 के रूप में संलग्न है। गाटा संख्या 138मि० एवं 139मि० पूर्व गाटा संख्या 211मि० से निर्मित हैं। प्रत्यर्थी संख्या-5 जितेन्द्र कुमार सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 27(3) के अंतर्गत (आवेदन में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 अंकित करते हुए) एक आवेदन इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि विवादित गाटा को पूर्व प्रविष्टि के आलोक में चारागाह भूमि के रूप में अभिलेखित किया जाए। प्रत्यर्थी संख्या-5 द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन को धारा 27(3), उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953 के अंतर्गत वाद संख्या 484 वर्ष 2023 के रूप में पंजीकृत किया गया। प्रत्यर्थी संख्या-5 द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रिट-बी संख्या 388 वर्ष 2026 प्रस्तुत की गई, जिसका निस्तारण दिनांक 02.02.2026 के आदेश द्वारा इस निर्देश के साथ किया गया कि अपर जिलाधिकारी द्वारा प्रकरण का निस्तारण छह माह की अवधि के भीतर किया जाए। उपर्युक्त अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कार्यवाही में अपर जिलाधिकारी द्वारा धारा 27(3), उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953 के अंतर्गत दिनांक 11.02.2026 के आदेश द्वारा न्यायहित में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया। अतः यह याचिका निम्नलिखित प्रतिकार हेतु प्रस्तुत की गई है:-

**“परमादेश की प्रकृति में एक रिट/आदेश/निर्देश निर्गत करने की कृपा की जाए, जिसके द्वारा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), आजमगढ़ को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्तागण द्वारा दिनांक 11.02.2026 को प्रस्तुत आपति का, वाद संख्या 0484 वर्ष 2023, कम्प्यूटरिकृत वाद संख्या 20235415600000484 (जितेन्द्र कुमार सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) धारा 27(3), उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम के अंतर्गत, निर्णय करें तथा आपति के निस्तारण तक, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2026 के प्रभाव एवं क्रियान्वयन को न्यायहित में स्थगित रखा जाए।”**

3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रत्यर्थी संख्या-5 द्वारा एक भ्रांतिपूर्ण कार्यवाही प्रारम्भ की गई है, जिसे प्रारम्भ करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्तागण विवादित गाटा के अभिलेखित भूमिधर हैं, अतः जब तक विधिवत् रूप से प्रविष्टि अपसारित नहीं की जाती, न्यायालय द्वारा मनमाने ढंग से यथास्थिति का आदेश पारित नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्तागण की ओर से उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 27(3) के अंतर्गत कार्यवाही की ग्राह्यता के संबंध में समुचित आपति प्रस्तुत की गई है, जो विचाराधीन है, अतः प्रत्यर्थी संख्या-4 को निर्देशित किया जाए कि वह प्रत्यर्थी संख्या-5 के प्रार्थनापत्र के आधार पर कार्यवाही की ग्राह्यता के संबंध में याचिकाकर्तागण की आपति पर विचार करे तथा याचिकाकर्तागण के विरुद्ध प्रदान किया गया अंतरिम निषेधाज्ञा स्थगित अथवा निरस्त किया जाए।

4. राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री हरि मोहन श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया कि उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 27(3) के अंतर्गत लंबित कार्यवाही में यथास्थिति प्रदान करने वाले अंतरिम आदेश के विरुद्ध किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में ही धारा 27(3), उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953 के अंतर्गत कार्यवाही के निस्तारण हेतु छह माह की अवधि के भीतर निर्णय करने का निर्देश दिया जा चुका है, अतः लंबित कार्यवाही का निर्णय अपर जिलाधिकारी द्वारा विधि के अनुसार किया जाएगा और वर्तमान रिट याचिका निरस्त की जानी चाहिए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
6. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्तागण विवादित गाटा के अभिलेखित स्वामी हैं तथा उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 27(3) के अंतर्गत प्रत्यर्थी संख्या-5 द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रत्यर्थी संख्या-4 के समक्ष लंबित है। यह भी विवादित नहीं है कि कार्यवाही की ग्राह्यता के संबंध में याचिकाकर्तागण की ओर से दिनांक 11.02.2026 को आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जो प्रत्यर्थी संख्या-2 के समक्ष लंबित है। यह भी विवादित नहीं है कि धारा 27(3), उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953 के अंतर्गत लंबित कार्यवाही में यथास्थिति बनाए रखने हेतु अंतरिम आदेश पारित किया गया है।
7. यह उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्तागण विवादित गाटा के अभिलेखित स्वामी हैं, अतः प्रत्यर्थी संख्या-5 द्वारा प्रारम्भ की गई उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 27(3) के अंतर्गत कार्यवाही में अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जानी चाहिए, अपितु अभिलेखित स्वामी की आपत्ति पर विधिवत् विचार करते हुए संपूर्ण कार्यवाही का निस्तारण किया जाना चाहिए।
8. प्रत्यर्थी संख्या-5, जिसका दर्जा केवल शिकायतकर्ता का है, द्वारा धारा 27(3), उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953 के अंतर्गत प्रारम्भ की गई कार्यवाही के आधार पर विवादित गाटा के अभिलेखित स्वामी के विरुद्ध अंतरिम निषेधाज्ञा प्रदान किया जाना अधिकारिता का समुचित प्रयोग नहीं है।
9. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रत्यर्थी संख्या-4, अपर जिलाधिकारी द्वारा वाद संख्या 484 वर्ष 2023 में दिनांक 11.02.2026 को पारित यथास्थिति बनाए रखने संबंधी अंतरिम आदेश, जो कि विवादित गाटा के अभिलेखित स्वामी के विरुद्ध पारित किया गया है, एतद्वारा निरस्त किया जाता है। रिट याचिका **स्वीकृत** की जाती है। प्रत्यर्थी संख्या-4, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), जनपद आजमगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे इस न्यायालय द्वारा रिट-बी संख्या 388 वर्ष 2026 में निर्गत निर्देश के आलोक में, याचिकाकर्तागण द्वारा प्रस्तुत दिनांक 11.02.2026 की आपत्ति पर विधिवत् विचार करते हुए, उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 27(3) के अंतर्गत उपर्युक्त लंबित कार्यवाही का निर्णय करें।

(न्यायमूर्ति चन्द्र कुमार राय)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



28 मार्च, 2026

वंदना वाई.

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।